## <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 632 / 14</u> संस्थापन दिनांक:--18 / 09 / 14 फाईलिंग नं. 233504001772014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

#### वि क्त द्व

- 1. सुदामा पिता टेमरू भोयर, उम्र 40 वर्ष
- 2. सायबू पिता बोदरू भोयर, उम्र 45 वर्ष दोनों निवासी नांदपुर, थाना आमला, जिला बैतुल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

# <u> -: (निर्णय):-</u>

## (आज दिनांक 16.03.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.09.2014 को समय 08:00 बजे या उसके लगभग ग्राम नांदपुर फरियादी के घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी बिरजा भोयर और अन्य को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.09.2014 को सुबह 08 बजे फरियादी से अभियुक्तगण ने कहा कि उन्हें जमीन का हिस्सा चाहिए जिस पर फरियादी ने उन्हें कहा कि तुमने जमीन का हिस्से पहले ले लिये जो अब काहे का हिस्सा दूंगा। इसी बात को लेकर अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की मादरचोद की गंदी गंदी गालियां दी और कहा कि जमीन का हिस्सा नहीं देगा तो जान से मारकर खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 710/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्तगण परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

#### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

## ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

### विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 04 का निराकरण

- 5 बिरजा (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना ग्राम नांदपुर स्थित उसके घर के सामने की दोपहर के समय की है। घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मुआवजा की बात पर से तेरी मां बहन की चोदू की गालियां दी थी जो उसे सुनने में बहुत बुरी लगी थी। साक्षी शांताबाई (अ.सा.—2) ने साक्षी बिरजा के कथनों का समर्थन करते हुए न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसके पित को मुआवजे की बात पर से मां बहन की चोदू की गालियां दी थी जो सुनने में बहुत बुरी लगी थी।
- 6 सुक्कू (अ.सा.—3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में साक्षी ने कोई भी कथन नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन को कोई भी सहायता प्राप्त

नहीं होती है।

- 7 बिसन सिंह (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में दिनांक 03.09.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 710 / 14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—3) तैयार किया जाना एवं दिनांक 17.09.2014 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—4 एवं प्रदर्श पी—5 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है। उपर्युक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में बचाव अधिवक्ता के द्वारा औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे साक्षी के द्वारा की गयी कार्यवाही प्रमाणित होती है।
- 8 अभिलेख पर मात्र फरियादी एवं उसकी पत्नी की साक्ष्य उपलब्ध है। बिरजा (अ.सा.—1) एवं शांताबाई (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा मां बहन की चोदू की गाली दिया जाना बताया है। बिरजा (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण और उसकी जमीन लगी हुई है और राजस्व अभिलेख में शामिल रूप से दर्ज है। पैरा क. 03 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध मुआवजा न देने के संबंध में रिपोर्ट की थी इसके अलावा उसका अभियुक्तगण से कोई विवाद नहीं हुआ था और न ही अभियुक्तगण ने उससे कोई गाली गलौच की। शांताबाई (अ.सा.—2) ने भी न्यायालयीन प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके पति के द्वारा मात्र मुआवजा प्राप्त करने के संबंध में अभियुक्तगण की रिपोर्ट की गयी थी इसके अतिरिक्त कोई विवाद नहीं हुआ था।
- 9 बिरजा (अ.सा.—1) एवं शांताबाई (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। अतः अभिलेख पर धारा 506 भाग—दो भा.दं.सं. के संबंध में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जहां तक अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच किये जाने का प्रश्न है वहां उपर्युक्त साक्षीगण अपने कथनों पर स्थिर नहीं हैं। प्रतिपरीक्षण में दोनों साक्षीगण ने अभियुक्तगण से मात्र मुआवजे के संबंध में विवाद होना बताया है। गाली गलौच या अन्य विवाद से इनकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में जबिक साक्षीगण अपने कथनों में स्थिर नहीं हैं वह विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं। उपर्युक्त परिस्थिति अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न करती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

#### विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

- 10 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी बिरजा भोयर और अन्य को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण सुदामा एवं सायबू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 एवं 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11 अभियुक्तगण को आज दिनांक को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और वे न्यायालय की अभिरक्षा में हैं। अतः अभियुक्तगण को रिहा किया जावे।
- 12 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)